

## ज़कात के लिए आसान मार्गदर्शन (2 का भाग 2)

रेटिंग:

विवरण: [?? ?? ????????](#) [?? ???????](#) [?? ?????](#) [??????????](#) [???](#) [?? ??](#), [??????](#) [?? ?????](#) [???](#) [??????](#) [????????](#) [??](#), [?? ?????](#) [??????](#)  
[?? ?????](#) [?????](#) [?? ???](#) [??????????????](#) [?? ??????](#) [?????](#)

श्रेणी: [पाठ](#) > [पूजा के कार्य](#) > [ज़कात](#)

द्वारा: Imam Mufti (© 2012 NewMuslims.com)

प्रकाशित हुआ: 08 Nov 2022

अंतिम बार संशोधित: 07 Nov 2022

उद्देश्य

- यह जानना कि स्टॉक, शेयरों और 401k पर ज़कात की गणना कैसे की जाती है।
- लोगों की उन आठ श्रेणियों को जानना जिन्हें ज़कात दे सकते हैं।
- ज़कात देने के तरीके के बारे में कुछ व्यावहारिक सुझाव जानना।

अरबी शब्द

- ????? - अनविरय दान।
- ????? - स्वैच्छिक दान।
- ????? - एक संघर्ष, किसी नश्चिती मामले में प्रयास करना, और एक वैध युद्ध से संबंधित।

## स्टॉक, शेयर और 401K पर ज़कात

ज़कात की गणना ज़कात की नश्चिती तारीख पर कुल पोर्टफोलियो मूल्य के 2.5% की मानक दर से की जाती है क्योंकि उन्हें लाभ की उम्मीद के साथ खरीदा जाता है, और पैसे के लिए आसानी से बेचा जा सकता है।

शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को एक स्थापित वार्षिक जकात के लिए नश्चिति तारीख पर स्टॉक मूल्यों का अनुमान लगाना चाहिए, मूल्य में उतार-चढ़ाव की परवाह किए बिना, और कुल पोर्टफोलियो मूल्य का 2.5% का भुगतान करना चाहिए।

सभी खातों जैसे 401K, केओघ (टैक्स-स्थगित पेंशन) योजना, आईआरए, एसईपी-आईआरए, रोथ आईआरए, आदिको 2.5% वार्षिक की दर से जकात योग्य माना जाता है। आम तौर पर नकिसी के लिए नविशक के पास सभी रूपए उपलब्ध नहीं होते हैं, आमतौर पर नकिसी के लिए 50% तक की अनुमति दी जाती है। इसलिए, कुछ वदिवानों द्वारा नमिनलखिति सूत्र सुझाया गया है:

नकिसी राशि - नरिधारति दंड - नरिधारति कर = जकात योग्य राशि

## जकात कौन ले सकता है?

कुरआन हमें बताता है कि किस-किस को जकात लेने का हक है। कुरआन के अध्याय अत-तौबा (9:60) में आठ श्रेणियां हैं:

### 1. गरीब

गरीब लोग जनिके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वे जकात लेने के योग्य हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे दरदिर हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं और फिर भी वे दूसरों से वनिय और आत्म-सम्मान की भावना से मदद नहीं मांगते हैं।

### 2. नरिशरति

ये वे लोग होते हैं जो इतने गरीब हैं कि उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। जाहरि है, वे पहली श्रेणी से भी बदतर स्थिति में होते हैं।

### 3. जकात प्रबंधक

जकात इकट्ठा करने और बांटने करने के लिए जमिंदार लोगों को उनके काम के लिए जकात फंड से भुगतान किया जा सकता है। वे मजदूरी ले सकते हैं चाहे वे गरीब हों या नहीं।

### 4. नए मुसलमान

जनि लोगों ने हाल ही में इस्लाम स्वीकार किया है उन्हें ज़कात दी जा सकती है। लोगों को उनका समर्थन लेने या उनके वरिध को कम करने के लिए ज़कात से पैसे भी दिए जा सकते हैं।

## 5. गुलामों को मुक्त करना

अतीत में, ज़कात के पैसे का इस्तेमाल दासों को मुक्त कराने के लिए भी किया जाता था। क़ुरआन ने इसे ज़कात से पैसे खर्च करने के वैध तरीकों में से एक माना है। यह गुलामों के साथ इस्लाम की करुणा भरे व्यवहार की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इस्लाम ने गुलामों को मुक्त करने को ईश्वर को प्रसन्न करने वाली पूजा का दर्जा दिया। जहां तक इस लेखक की जानकारी है, किसी अन्य धर्म ने ऐसा नहीं किया है।

## 6. कर्ज चुकाना

जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं और उनके पास खुद भुगतान करने का कोई तरीका नहीं है, वे भी ज़कात राशिले सकते हैं। ये चकितिसा कारणों, विवाह या अन्य वैध खर्चों के लिए लिया गया ऋण हो सकता है।

## 7. अल्लाह की राह में

अल्लाह के राह में भी दौलत खर्च की जा सकती है। इस्लाम के शास्त्रीय विद्वानों की पारंपरिक समझ यह है कि यह श्रेणी ज़हिद या वैध युद्ध के लिए आरक्षण है। बाद के विद्वानों ने इस श्रेणी में इस्लाम के प्रसार और वैचारिक रक्षा के प्रयासों को भी शामिल किया है।

## 8. यात्री

अतीत में लोग यात्रा करते समय धन की कमी के कारण घर वापस नहीं जा पाते थे और रास्ते में फंस जाते थे। आज भी कभी-कभी ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में, उन यात्रियों को ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। शर्त यह है कि उनकी यात्रा अल्लाह की अवज्ञा करके न हो, बल्कि एक स्वीकार्य कारण के लिए होनी चाहिए जैसे ज्ञान प्राप्त करना, नौकरी की तलाश करना या व्यवसाय करना।

## ज़कात किसको नहीं लेना चाहिए?

एक धनी व्यक्ति अपने माता-पिता को ज़कात नहीं दे सकता क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ ही, पति अपनी पत्नी को ज़कात नहीं दे सकता क्योंकि वह उसकी वित्तीय ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा, अधिकांश विद्वानों के अनुसार एक गैर-मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती है। गरीब गैर-

मुस्लिमों की मदद या स्वैच्छिक दान से मदद की जा सकती है।

## ज़कात देने के व्यावहारिक सुझाव

1. अगर आप किसी गरीब और जरूरतमंद मुसलमान को जानते हैं तो आप सीधे उन्हें पैसा दे सकते हैं।
2. ज्यादातर आपका स्थानीय इस्लामिक केंद्र ज़कात एकत्र करता है और इसे स्थानीय समुदाय के जरूरतमंदों को वितरित करता है या एक धर्मार्थ संगठन के जरिये ये काम करता है। इसलिए, आप हमेशा स्थानीय मस्जिद से पूछ सकते हैं कि क्या वे ज़कात लेते हैं। आपको मस्जिद में "ज़कात" के लेबल वाले बक्से भी मिल सकते हैं जिनमें आप ज़कात के लिए अपना चेक या नकद आसानी से डाल सकते हैं।
3. इसके अलावा, आप ऑनलाइन खोज सकते हैं और कई इस्लामी धर्मार्थ संगठन ढूंढ सकते हैं जो अनाथों के लिए या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन या दवा वितरित करने के लिए ज़कात एकत्र करते हैं।

निम्नलिखित कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्हें आप अपनी ज़कात दे सकते हैं:

[www.zakat.org](http://www.zakat.org)

[www.islamic-relief.com](http://www.islamic-relief.com)

[www.hhrd.org](http://www.hhrd.org)

## विविध मुद्दे

सोने और चांदी के गहनों पर ज़कात दी जाती है। सोने पर ज़कात की गणना गहनों में सोने की मात्रा (यानी कैरेट) और बाजार में उसके मूल्य के अनुसार की जाएगी। इसलिए अपने सोने के मूल्य की गणना करते समय, आपको सही मूल्य (सामग्री और वजन के आधार पर) के लिए एक जौहरी से सलाह लेना चाहिए। गहनों में किसी भी पत्थर पर ज़कात देय नहीं है।

जब आप ज़कात देते हैं तो आपको ज़कात देने का इरादा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर आपने पहले दान में पैसा दिया है और बाद में अगर सोचें कि मैंने तो पहले ही दान में इतना कुछ दिया है, यह मेरी ज़कात के रूप में गिना जाएगा! तो ऐसा नहीं है।

ज़कात एक बार देय होने पर तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए जब तक कि ऐसा करने का कोई वैध कारण न हो, जैसे कि गिरीबों को ढूंढने की प्रतीक्षा करना।

एक बहुत ही आम और व्यापक गलतफहमी यह है कि किसी धन पर एक बार ज़कात देने के बाद, अगले वर्ष उसी धन पर ज़कात नहीं देनी पड़ेगा। यह नरिधार है। वास्तव में, जब तक आपके पास नसिब से अधिक धन है और और उस धन का एक पूर्ण चंद्र वर्ष बीत चुका है, तो उस धन पर हर साल ज़कात देना होगा।

इस लेख का वेब पता

<https://www.newmuslims.com/hi/articles/165>

कॉपीराइट © 2011 - 2024 NewMuslims.com. सर्वाधिकार सुरक्षित।